

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2022—भाद्र 11, शक 1944

## भाग 3 ( 1 )

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक-001-बी-121-2021-22

राजगढ़, दिनांक 17 फरवरी, 2022

फार्म-चार

(म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5(2) तथा म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अमरसिंह यादव पिता श्री हीरालाल यादव निवासी कोल्वाड़ मोहल्ला खुजनेर तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ के द्वारा मध्यप्रदेश न्यासधारी एवं अध्यक्ष श्री ख्रादुश्याम मंदिर सेवा न्यास मंदिर वार्ड क्रमांक 05 बायपास रोड खुजनेर जिला राजगढ़ के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक एक्ट 1951 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन किया है।

अतः मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों को पंजीयन में न्यायलय में दिनांक ..... को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा मामले की जांच कराने को प्रस्तावित करता हूँ।

उक्त आवेदन पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है। यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप से इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में 02 प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जावेगा।

!! अनुसूची!!

(लोक न्यास का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

न्यास का नाम	श्री खाटुश्याम मंदिर सेवा न्यास मंदिर
न्यास का पता	वार्ड क्रमांक 05 बायपास रोड खुजनेर
चल संपत्ति का विवरण	सूची का आवलोकन कार्यालयीन समयावधि में किया ता सब
अचल संपत्ति का विवरण	सूची का अवलोकन कार्यालयीन समयावधि में किया जा र

यह सूचना आज दिनांक 17.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई।

जूही गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

(G-1520)

### न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी सागर, म0प्र0 प्रारूप चार नियम 5 (1) देखिए

मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1952 का नियम 5 (1) देखिए।

चूंकि श्री सिद्ध क्षेत्र श्री देव जानकी रमण मंदिर सिमरिया धाम तहसील व जिला सागर न्यास अध्यक्ष आवेदक राजा भैया राजपूत पिता बलराम सिंह राजपूत निवासी ग्राम सिमरिया तहसील व जिला सागर ने म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोकन्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है, एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28.07.2022 को विचार के लिए लिया गया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता है और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं सपना त्रिपाठी अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 29.08.2022 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या उक्त संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोई मैं मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

### अनुसूची

लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन लोक न्यास का नाम और पता

न्यास का नाम:- श्री सिद्ध क्षेत्र श्री देव जानकी रमण मंदिर सिमरिया धाम. तहसील व जिला सागर

चल/अचल संपत्ति के ब्यौरे

### अनुसूची क्रमांक-2

1-- 1 गौजा रिगरिया पटवारी हल्का नंबर राकित परसोरिया में खसरा नंबर 34, 38 में से रकवा 3.60, 2.48 हे भूमि

### - अनुसूची क्रमांक-3

- 1- राधाकृष्ण जी
- 2- पार्वती जी
- 3- गणेश जी
- 4- हनुमान जी

उक्त चारों मूर्तियाँ प्राचीन धातु की है।

- 5- लड्डूगोपाल जी
- 6- गणेश जी
- 7- दुर्गा जी

तीनों मूर्तियाँ पीतल की है।

### अनुसूची क्रमांक-4

- 1- दानपेटी
- 2- वाल्टी
- 3- सी.एफ.एल
- 4- पंखा
- 5- बडा ताला
- 6- शंख झालर
- 7- घंटा- 2 पीतल के
- 8- लकड़ी का तखत 1
- 10- तखत एक लकड़ी का

सपना त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

## कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, बैहर, जिला बालाघाट

क्रमांक-2022

दिनांक 17 अगस्त, 2022

## सूचना पत्र

क्रमांक / 2022 /

दिनांक 17/8/2022

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत सर्व साधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट के आदेश क्रमांक/उपबा/परि/ 42 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं। तथा धारा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश
1	प्राथ. किसान लेग सार्व. समि. बैहर	790/21.5.2012	968/017/2019
2	आ.बा.अम डेका सह. समिति मर्धा बैहर	869/10.12.2013	946/2917/2015
3	सा बैजारी अम डेका सह. समि. मर्धा बाढ़ी (खजुर)	776/12.3.2012	1020/417/2016
4	प्राथ. सा. मर्धा कीज उत्प. समि. मर्धा खोलवा	831/10.12.2013	1018/417/2016
5	प्राथ. साई अम डेका सह. समि. मर्धा तिवरगांव	778/10/3/2012	1019/417/2016
6	दूध (सहकारी) समिति मर्धा हरीनाम	763/27/11/2011	1022/417/2018

अतः मैं एम. के. मानेश्वर सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में प्राप्त जो भी रिकार्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड, एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होने के दिनांक के 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा

निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 17/8/2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

एम. के. मानेश्वर, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक,

## कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, बालाघाट

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत सर्वसाधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बालाघाट के आदेश क्रमांक / उपंबा/2020/ 42/ दिनांक 14.01.2020 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश दिनांक दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है ।

क्र.	संस्था का नाम	पं.क्रमांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश
1	वसुन्धरा कृषि उद्यान एवं विपणन सहकारी समिति मर्या.पीपरटोला	821/10. 12.2013	आदेश क्र. उपंबा/परि/2020/42 बालाघाट दिनांक 14.01.2020
2	जनकल्याण कामगार सहकारी समिति मर्या. भुतना	863/10. 12.2013	आदेश क्र. उपंबा/परि/2020/42 बालाघाट दिनांक 14.01.2020
3	जगदम्बा महिला बहुउद्देशिय सहकारी समिति मर्या. गोदरीटोला	664/	आदेश क्र. उपंबा/परि/2020/42 बालाघाट दिनांक 14.01.2020
4	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कटंगी (मलाजखण्ड)	773/28. 02.2012	आदेश क्र. उपंबा/परि/2020/42 बालाघाट दिनांक 14.01.2020

अतः मैं के.एस.सैयाम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक कार्यालय उपपंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/ सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी । चार्ज में प्राप्त जो भी रिकार्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा ।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तके रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होन के दिनांक के 15 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दे अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।

के. एस. सैयाम, निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G-1523)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड, कटंगी, जिला बालाघाट

क्रमांक-2022

दिनांक 16 अगस्त, 2022

सूचना पत्र

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत सर्व साधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट के आदेश क्रमांक/उपबा/परि/ 42 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं। तथा धारा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र	संस्था का नाम	पंजी. क्रमांक एवं दिनांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश
1.	जय मां दुर्गे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सीताखोह	777 / 14.03.2012	1024 / 04.07.2016
2.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.बासी	793 / 17.07.2012	1092 / 11.07.2016
3.	कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. जराहमोहगांव	779 / 19.03.2012	1024 / 04.07.2016
4.	श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या.गोरेघाट	698 / 24.10.2007	955 / 29.07.2015
5.	प्रा0 महिला आस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. कन्हडगांव	631 / 29.04.2003	888 / 19.07.2013

अतः मैं एम0 के0 रावल सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में प्राप्त जो भी रिकार्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड, एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होने के दिनांक के 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 16.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

एम. के. रावल, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(G-1524)

**कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड, खैरलांजी, जिला बालाघाट**

क्रमांक-2022

दिनांक 5 अगस्त, 2022

**सूचना पत्र**

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत सर्व साधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट के आदेश क्रमांक/उपबा/परि/ 42 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं। तथा धारा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश
1.	जनहित महिला बहुउद्देशीय शक्तिपुंज सह0समिति मर्या0 टेकाडीतीजू	667 / 23.09.05	892 / 19.7.2013
2.	दुग्ध सह0समिति मर्या0 कोथुरना	581 / 31.03.97	898 / 19.07.2013
3.	दुग्ध सह0समिति मर्या0 पिपरिया	572 / 31.03.97	898 / 19.07.2013
4.	दुग्ध सह0समिति मर्या0 येरवाघाट	734 / 25.05.10	984 / 01.07.2016
5.	ममता बहुउद्देशीय शक्तिपुंज सह0समिति मर्या0 पुलपुटा	666 / 23.09.05	985 / 01.07.2016
6.	बीज उत्पादक क्य विक्रय सह0समिति मर्या0 खैरलांजी	634 / 06.05.03	67 / 12.10.2018
7.	महिला साख सह0समिति मर्या0 टेकाडीतीजू	836 / 10.12.13	1013 / 04.07.2016

अतः मैं सी0पी0सिंह सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में प्राप्त जो भी रिकार्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड, एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होने के दिनांक के 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 05.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सी. पी. सिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(G-1525)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड, किरनापुर, जिला बालाघाट

क्रमांक-2022-Q 1

दिनांक 17 अगस्त, 2022

सूचना पत्र

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962- के नियम 57 (सी) के अंतर्गत सर्व साधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट के आदेश क्रमांक/उपबा/परि/ 42 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं। तथा धारा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश
1.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या0 कुण्डामोहगांव	579 / 31.03.1997	750 / 23.07.2011
2.	विजयी भारत सहकारी सांख समिति मर्या0 किरनापुर	841 / 10.12.2013	37 / 09.01.2015

अतः मैं रमेश परस्ते सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में प्राप्त जो भी रिकार्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड, एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होने के दिनांक के 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 07.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

रमेश परस्ते, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(G-1526)



## कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, विकासखण्ड, परसवाडा, जिला बालाघाट

क्रमांक-2022-Q 2

दिनांक 17 अगस्त, 2022

## सूचना पत्र

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत सर्व साधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट के आदेश क्रमांक/उपबा/परि/ 42 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं। तथा धारा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश
1.	कीर्ति बीज उत्पादक सह0समिति मर्या0 उकवा	760 / 03.02.2011	1016 / 04.07.2016
2.	साई कृषि बीज उत्पादक सह0समिति मर्या0 उडदना	772 / 24.02.2012	1015 / 04.07.2016
3.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सह0समिति मर्या0 अरंडिया	787 / 07.05.2012	1014 / 11.07.2016

अतः मैं रमेश परस्ते सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में प्राप्त जो भी रिकॉर्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड, एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होने के दिनांक के 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 07.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

रमेश परस्ते, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

## कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड, बालाघाट, जिला बालाघाट

क्रमांक-2022

दिनांक 16 अगस्त, 2022

## सूचना पत्र

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत सर्व साधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट के आदेश क्रमांक/उपंबा/परि/737 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं। तथा धारा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश
1.	ग्राम. इधन आरति सह. सहकारी समिति बालाघाट	669 / 30.09.2015	
2.	ग्राम. धनु. उच्चतर माध्यमिक शाला उपक्रमा अब्जर सह. सहकारी समिति बालाघाट	16 / 30.06.1962	
3.	ग्राम. धनु. आरति सह. सहकारी समिति एवं प्लेक्स सहकारी समिति बालाघाट	854 / 10.12.2018	

अतः मैं राकेश उड्डे सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में प्राप्त जो भी रिकार्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड, एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होने के दिनांक के 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 16.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राकेश उड्डे, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

## कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी सहकारी संस्थाये, बालाघाट

क्रमांक-2022

दिनांक 16 अगस्त, 2022

## सूचना पत्र

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाये नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत सर्व साधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाये बालाघाट के आदेश क्रमांक/उपंबा/परि/42 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं। तथा धारा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र	संस्था का नाम	पं क्रमांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश
1.	दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित पांढरवानी	809/29.05.2013	1089/11.07.2016
2.	दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित खामघाट	482/19.10.1993	1027/04.07.2016
3.	आदर्श साख सहकारी समिति मर्यादित सोनपुरी	844/	
4.	दि किसान साख सहकारी समिति मर्यादित खारा	848/10.12.2013	
5.	किसान साख सहकारी समिति मर्यादित देवगांव	784/16.04.2012	45/09.01.2015

अतः मैं श्रीमति अरुणा मर्सकोले सहकारी निरीक्षक परिसमापक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाये बालाघाट म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाये बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में प्राप्त जो भी रिकॉर्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड, एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होने के दिनांक के 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(G-1529)

## सूचना पत्र

क्रमांक-2022

दिनांक 16 अगस्त, 2022

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत सर्व साधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट के आदेश क्रमांक/उपंबा/परि/42 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं। तथा धारा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र	संस्था का नाम	पं क्रमांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश
1.	दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित पांढरवानी	809 / 29.05.2013	1089 / 11.07.2016
2.	दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित खामघाट	482 / 19.10.1993	1027 / 04.07.2016
3.	आदर्श साख सहकारी समिति मर्यादित सोनपुरी	844 /	
4.	दि किसान साख सहकारी समिति मर्यादित खारा	848 / 10.12.2013	
5.	किसान साख सहकारी समिति मर्यादित देवगांव	784 / 16.04.2012	45 / 09.01.2015

अतः मैं श्रीमति अरुणा मर्सकोले सहकारी निरीक्षक परिसमापक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में प्राप्त जो भी रिकार्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़, एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होने के दिनांक के 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

अरुणा मर्सकोले, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(G-1530)

## कार्यालय परिसमापक एवं उप अंकेक्षक सहकारी संस्थायें बालाघाट

### सूचना पत्र

क्रमांक / 2022

दिनांक 17.08.2022

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत सर्व साधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट के आदेश क्रमांक/उपबा/परि/42 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं। तथा धारा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र	संस्था का नाम	पं क्रमांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश
1.	दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित रेंगाटोला	801/05.09.2012	1083/11.07.2016

अतः मैं हर्षित भलावी उप अंकेक्षक परिसमापक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में प्राप्त जो भी रिकार्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड, एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होने के दिनांक के 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

हर्षित भलावी, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(G-1531)

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत सर्व साधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट के आदेश क्रमांक/उपंबा/परि/ 738 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं। तथा धारा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र	संस्था का नाम	पं क्रमांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश
1	प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्या. बुढियागांव	786/01.05. 2012	982/01.07. 2016
2	गणपति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. जागपुर	834/10.12. 2013	975/01.07. 2016
3	अराधना बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. परसवाडा	783/16.04. 2012	976/01.07. 2016

अतः मैं सुश्री दिव्या ठाकुर उप अंकेक्षक परिसमापक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में प्राप्त जो भी रिकॉर्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड, एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होने के दिनांक के 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

दिव्या ठाकुर, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत सर्वसाधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट के आदेश क्रमांक/उपंबा/परि/ 42 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं। तथा धारा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र	संस्था का नाम	पं क्रमांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश
1.	श्रम टेका सहकारी समिति मर्या.मेण्डकी	866/10-12-13	947/29-7-2015
2.	श्रद्धा बीज सह.समिति मर्या.लालपुर	819/10-12-13	819/10-12-13
3.	अन्नपूर्णा बीज सह.समिति मर्या.रामपायली	835/10-12-13	1084/11-7-2016
4.	मुर्गीपालन सह.समिति मर्या. मुखड़	732/13-4-2010	1085/11/7/2016
5.	सहजयोग श्रमटेका सह.समिति मर्या.कासपुर	867/10-12-13	958/29-7-2015
7.	<del>महिला बहु.सह.समिति मर्या.बास</del>		

अतः मैं एस.के.बोम्बर्डे उप अंकेक्षक परिसमापक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में प्राप्त जो भी रिकॉर्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड, एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होने के दिनांक के 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एस. के. बोम्बर्डे, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

## कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्रमांक-जविप्रा-भू-अर्जन-2022-3867

जबलपुर, दिनांक 24 अगस्त, 2022

धारा 50 की उप-धारा(2)के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (2) के अधीन सर्वसधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम महाराजपुर, हथना एवं खैरी के अंतर्गत नगर विकास योजना के प्रयोजन हेतु जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-05/JBP/2022 के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23/08/2022 को अनुमोदित किया गया है। स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है:-

संख्या क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (अंशों सहित)	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	राधेश्याम चौबे, प्रीति उजवने, यशोदा बाई बेवा, साफिया खान, नेहा श्रीवास्तव एवं अन्य 09	अधारताल	महाराजपुर	5/1/1/1 में से	0.746
2	भारती असाठी एवं अन्य 03	अधारताल	महाराजपुर	5/1/1/2	0.862
3	सलीम खान	अधारताल	महाराजपुर	5/1/2	0.280
4	सलीम खान	अधारताल	महाराजपुर	5/1/3	0.080
5	सलीम खान	अधारताल	महाराजपुर	5/1/4	0.070
6	सुमन सतीश असाठी, श्याम बिहारी, उर्मिला	अधारताल	महाराजपुर	5/2/1	1.446
7	प्रभा विश्वकर्मा एवं अन्य 13	अधारताल	महाराजपुर	5/2/2	0.920
8	श्रीमती भारती, आयुष, अंकिता	अधारताल	महाराजपुर	5/3/1/1	3.000
9	सलीम खान	अधारताल	महाराजपुर	5/3/1/2	1.000
10	यशोदा बाई एवं अन्य 05	अधारताल	महाराजपुर	5/3/2	0.862
11	सुमन असाठी एवं अन्य 05	अधारताल	महाराजपुर	5/4/2 में से	0.203
12	शोभा सलारिया पति अजय सलारिया	अधारताल	महाराजपुर	6/1 में से	0.357
13	मोहम्मद जफर खान पिता स्व. मो. सरीफ	अधारताल	महाराजपुर	11/1	0.128
14	हायफा कोटी पिता मो. जहीर	अधारताल	महाराजपुर	11/2	0.050
15	दीपक पिता मदनलाल पटैल	अधारताल	महाराजपुर	11/3	0.271
16	श्रीमती वंदना गौर पति राजीव गौर, मयंक गौर नम्रता गौर	अधारताल	महाराजपुर	11/4	1.202
17	श्रीमती राजेश्वरी पति जयप्राकाश त्यागी एवं अन्य 3	अधारताल	महाराजपुर	12 में से	0.075
18	संजय कुमार हेमन्त कुमार वल्द दयाचंद, सुधीर कुमार पिता बुधरानी	अधारताल	महाराजपुर	13/1,13/2 में से	0.418
19	रजिया बेगम पति मु. जहीर	अधारताल	महाराजपुर	14/1	0.149
20	मो. जहीर खान कोटी पिता मरहूम हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	14/2	0.149
21	मो. जहीर खान कोटी पिता मरहूम हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	14/3	0.149
22	मो. जहीर खान कोटी पिता मरहूम हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	14/4	0.149
23	मो. जहीर खान कोटी पिता मरहूम हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	14/5	0.149
24	यकदान कोटी पिता जहीर खान	अधारताल	महाराजपुर	14/6	0.149
25	गोविंद प्रसाद पिता अनंदा लाल	अधारताल	महाराजपुर	15/1	1.858



26	नारायण प्रसाद तिवारी पिता अनंदा लाल तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	15/2	0.400
27	शिवकुमार, अनिल कुमार, राजेश पिता जागेश्वर प्रसाद उपाध्याय	अधारताल	महाराजपुर	15/3	2.428
28	गौतम धनराज खविया पिता धनराज, निनेर, संतोषी संजय बम, जैद खान	अधारताल	महाराजपुर	15/4/1,15/4/2	3.351
29	रामप्रसाद वल्द अनंदा प्रसाद तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	15/5	0.090
30	शिवकुमार, अनिल कुमार, राजेश पिता जागेश्वर प्रसाद उपाध्याय	अधारताल	महाराजपुर	15/7	0.405
31	दिलीप मेहता पिता स्व. धीरज लाल मेहता	अधारताल	महाराजपुर	15/8	0.268
32	जैदखान, मोहम्मद शाहिद, धनराज खाविया, निनेर, संतोषी, संजय बम	अधारताल	महाराजपुर	15/9/1,15/9/2	2.635
33	मुकेश, राकेश, जीतेश वल्द रामनाथबर्मन	अधारताल	महाराजपुर	18/1	0.483
34	मुकेश, राकेश, जीतेश वल्द रामनाथबर्मन	अधारताल	महाराजपुर	18/3	0.055
35	अतुल दुबे पिता हरीशंकर दुबे	अधारताल	महाराजपुर	18/4	0.538
36	अतुल दुबे पिता हरीशंकर दुबे	अधारताल	महाराजपुर	18/5	0.146
37	अतुल दुबे पिता हरीशंकर दुबे	अधारताल	महाराजपुर	18/6	0.073
38	महेन्द्र प्रसाद समदड़िया वल्द रामशखा समदड़िया	अधारताल	महाराजपुर	19/1	0.150
39	राजूजान, धनवंती बाई उर्फ बेनी, मीना बाई वल्द अर्जुनदास, दौलतराम, हरीश कुमार, किशनचंद वल्द अर्जुनदास, लक्ष्मीबाई	अधारताल	महाराजपुर	20	1.117
40	प्रभात पिता भगवत खान पसोले, प्रतिभा, गीता, बालाजी, मीनाक्षी, अमरजीत सिंह, काशीराम, सविता नायडू	अधारताल	महाराजपुर	21/1	0.288
41	श्यामा देवी, अर्पणा श्रीवास्तव, सरोज केवट, आनेद कुमार, रेखा, ईश्वरी प्रसाद, उत्तमा, सन्नी भसीन, प्रवेश शर्मा, सुरेश कुमार बर्मन	अधारताल	महाराजपुर	21/2	0.467
42	चंद्रवती देवी, लीलावती, भागवत पिता लहानू जी खान, नंदिता, जितेंद्र, निर्मला, टेकराम, मृदुला, माधुरी, मंदाकिनी, मंजूला	अधारताल	महाराजपुर	21/3	0.355
43	कृ. अनूपा देसाई पिता किशोर कुमार देसाई	अधारताल	महाराजपुर	21/4	0.031
44	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	22	4.760
45	मुकेश, सुरेश, दिनेश पिता नारायण प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	23/1	0.130
46	चंद्रभूषण वल्द हरचरणलाल सराफ	अधारताल	महाराजपुर	23/2	0.129
47	गयासिंह, शंकर सिंह वल्द काशीराम	अधारताल	महाराजपुर	25/1	1.215
48	श्रीमती मीना मिश्रा पति रमन मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	25/3	0.405
49	श्रीमती मीना मिश्रा पति रमन मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	25/4	0.405
50	श्रीमती मीना मिश्रा पति रमन मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	25/5	0.380
51	रामप्रसाद वल्द अनंदा लाल	अधारताल	महाराजपुर	25/6	0.405
52	दशरथ सिंह पिता काशीराम	अधारताल	महाराजपुर	25/7	1.213
53	रामनाथ पिता शारदा प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	26/1	0.040

54	प्रहलाद पिता रामनाथ	अधारताल	महाराजपुर	26/2	1.416
55	गुड्डू उर्फ हरीलाल वल्द रामनाथ	अधारताल	महाराजपुर	26/3	1.417
56	गुड्डू उर्फ उमेश वल्द रामनाथ	अधारताल	महाराजपुर	26/4	1.417
57	रामदास अनंतराम, रघुवर प्रसाद वल्द पोलेराम, जानकीबाई, चंद्रका बाई, विमला बाई पुत्री पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	27/1	0.842
58	उजयारी बाई बेवा पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	27/2	0.202
59	अनंतकुमार वल्द पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	27/3	0.534
60	रघुवर प्रसाद वल्द पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	27/4	0.558
61	श्रवणकुमार वल्द बट्टी प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	29/2	0.127
62	जवाहर तुलसा बाई, मुन्नी बाई वल्द हीरा लाल, मंगोबाई बेवा लल्लूराम, वीरेन्द्र, मनोज, प्रमोद, सुरेन्द्र रेखा, सुभाष संदीप प्रदीप सीमा दीप्ती	अधारताल	महाराजपुर	30/1	0.151
63	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	30/2	0.237
64	रामदास वल्द पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	31	0.552
65	बृजेश कुमार, महेश कुमार, नरेश कुमार, रोहणी पिता कुलदेव प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	32/1	0.176
66	लालसिंह ठाकुर पिता बुद्ध सिंह ठाकुर	अधारताल	महाराजपुर	32/2	0.016
67	संतोष कुमार वल्द रामप्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	32/3	0.016
68	माया पति संतोष कुमार श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	32/4	0.016
69	अनिल कुमार वल्द नारायण कुमार श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	32/5	0.016
70	मुकेश कुमार वल्द मुक्ता प्रसाद श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	32/6	0.016
71	यशवंत रावजी वल्द रघुराव जी	अधारताल	महाराजपुर	32/7	0.016
72	महेश प्रसाद चौबे	अधारताल	महाराजपुर	32/8	0.016
73	मनोहर लाल पिता गुट्टी लाल श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	32/9	0.016
74	विधा पति उमाशंकर	अधारताल	महाराजपुर	32/10	0.016
75	श्रीमती आशाराव पति स्व. यशवंतराव	अधारताल	महाराजपुर	32/11	0.016
76	अनुराग वल्द अवधबिहारी, मदनगोपाल, नरेश कुमार, महेश कुमार, दिनेश कुमार, इंद्रा, सौरभ, सौम, भगवानदास, यशोदा बाई एवं अन्य 3	अधारताल	महाराजपुर	34/1	0.071
77	श्रीमती कुसुम विश्वकर्मा पति रामविलास विश्वकर्मा एवं अन्य 4	अधारताल	महाराजपुर	34/3	0.051
78	दिनेश कुमार जैन पिता राजेन्द्र कुमार जैन	अधारताल	महाराजपुर	35	0.332
79	रामदास अनंतराम, रघुवर प्रसाद वल्द पोलेराम, जानकीबाई, चंद्रका बाई, विमला बाई पुत्री पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	36	0.709
80	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	37	1.967
81	रामदास अनंतराम, रघुवर प्रसाद वल्द पोलेराम, जानकीबाई, चंद्रका बाई, विमला बाई पुत्री पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	38/1	0.044
82	शिवप्रसाद रैकवार, राजेश प्रसाद रैकवार पिता संपत लाल रैकवार	अधारताल	महाराजपुर	38/2	0.219
83	शशि जोजे, अंजनी कुमार पांडे	अधारताल	महाराजपुर	39/1	0.121

84	शिवकी बाई, भोग बाई, रामकुमारी वल्द नन्हूराम विनिया बाई, अलोक, अनूप, वंदना, सुमंत्रा वल्द शीतल प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	39/2	0.147
85	गोमती बाई पति दशरथ सिंह	अधारताल	महाराजपुर	40 में से	0.202
86	शंकर सिंह	अधारताल	महाराजपुर	41/1	0.142
87	दशरथ सिंह पिता काशीराम	अधारताल	महाराजपुर	41/2	0.144
88	अनूप कुमार दुबे पिता स्व. रमाकांत दुबे	अधारताल	महाराजपुर	42/1/1	0.165
89	अनूप कुमार दुबे	अधारताल	महाराजपुर	43/1/1	0.234
90	विजयकांत दुबे	अधारताल	महाराजपुर	43/1/2	0.679
91	श्रीमती मीना खत्री	अधारताल	महाराजपुर	43/2	0.405
92	कांता खत्री	अधारताल	महाराजपुर	43/3	0.809
93	श्रीमती सुनीता राय	अधारताल	महाराजपुर	43/5	0.41
94	श्रीमती अनीता राय	अधारताल	महाराजपुर	43/6	0.39
95	दिलीप कुमार गांगोली	अधारताल	महाराजपुर	44/2	0.026
96	रोमित पांडे	अधारताल	महाराजपुर	44/4	0.016
97	रोमित पांडे	अधारताल	महाराजपुर	44/5/1/1	0.587
98	रोमित पांडे	अधारताल	महाराजपुर	44/5/1/2	0.030
99	रोमित पांडे	अधारताल	महाराजपुर	44/5/2	0.150
100	दिलीप कुमार गांगोली	अधारताल	महाराजपुर	44/6	0.086
101	मुकेश कुमार शर्मा एवं अन्य 97	अधारताल	महाराजपुर	58 में से	0.580
102	राजेन्द्र पटेल पिता हरप्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	59/1	1.654
103	राजेन्द्र पटेल पिता हरप्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	59/2	1.654
104	मनोज कुमार पटेल पिता हरप्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	59/3/1	0.940
105	राजेन्द्र पिता हरप्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	59/3/2	0.713
106	शांति बाई बेवा संपत लाल रैकवार शिवप्रसाद, शारदा प्रसाद, अशोक कुमार	अधारताल	महाराजपुर	70/1	0.415
107	हरीश कुमार होतवानी पिता ए.के. होतवानी	अधारताल	महाराजपुर	70/2	0.200
108	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	72 में से	0.486
109	लक्ष्मन वल्द दयाराम	अधारताल	महाराजपुर	75/1	0.507
110	शांति बाई जोजे संपत लाल	अधारताल	महाराजपुर	75/2	0.405
111	श्रीमती मंजू मिश्रा पति वीरेन्द्र मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	75/3	0.800
112	भैरों प्रसाद वल्द रामसहाय	अधारताल	महाराजपुर	77	1.072
113	शिव प्रसाद रैकवार, राजेश कुमार रैकवार, अनुराग पिता अवधविहारी, मदनगोपाल, नरेश कुमार, महेश कुमार, उर्मिला शर्मा	अधारताल	महाराजपुर	78/1	0.826
114	अनुराग वल्द अवधविहारी, मदनगोपाल, नरेश कुमार, महेश कुमार, दिनेश कुमार, इंद्रा, सौरभ, सौम, भगवानदास, यशोदा बाई, शिव प्रसाद, मुईनुद्दीन अंसारी एवं अन्य 6	अधारताल	महाराजपुर	79/1,79/3	0.318
115	शंकर लाल पिता पंचम लाल	अधारताल	महाराजपुर	80/1	0.040

116	गोविंद प्रसाद तिवारी पिता आनंदी लाल तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	80/2/1	0.090
117	नारायण प्रसाद तिवारी पिता आनंदी लाल तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	80/2/2	0.160
118	रामप्रसाद तिवारी पिता आनंदी लाल तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	80/2/3	0.101
119	गोविंद पिता आनंदी लाल	अधारताल	महाराजपुर	80/2/4	0.054
120	लाडली बाई पिता स्व. रघुनाथ प्रसाद चंद्रशेखर, उमेश कुमार देवेन्द्र	अधारताल	महाराजपुर	82/1/1	0.656
121	गजराज पंचम, झब्बू वल्द पूरन लाल एवं अन्य 1	अधारताल	महाराजपुर	83/1	0.272
122	नारायण प्रसाद पिता दयाराम	अधारताल	महाराजपुर	84/1	0.350
123	अरूण कुमार पिता महेश प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	84/2	0.350
124	राजेश कुमार पटेल पिता रेवती प्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	85/1	1.165
125	गंगा राम पटेल पिता शंकर लाल पटेल	अधारताल	महाराजपुर	85/2	0.405
126	श्रीमती रमा पटेल पति गनपत पटेल	अधारताल	महाराजपुर	85/3	0.405
127	रामराज पिता शंकर लाल	अधारताल	महाराजपुर	86	0.405
128	रामकुमार पटेल पिता शंकर लाल	अधारताल	महाराजपुर	87/1	0.531
129	रामराज पिता शंकर लाल	अधारताल	महाराजपुर	87/2	0.117
130	उमेश कुमार पटेल पिता गनपत कुमार पटेल	अधारताल	महाराजपुर	87/3	0.117
131	गंगा राम पटेल पिता शंकर लाल पटेल	अधारताल	महाराजपुर	87/4	0.117
132	मथुरा प्रसाद पिता संतलाल	अधारताल	महाराजपुर	89/2	0.149
133	राम मिलन चौधरी पिता हरचरण	अधारताल	महाराजपुर	90/1	0.202
134	तेजीलाल वल्द प्यारे लाल	अधारताल	महाराजपुर	90/2	0.202
135	प्रेमलाल पिता प्यारेलाल चौधरी	अधारताल	महाराजपुर	90/3	0.202
136	रीनाराय पति अमित राय	अधारताल	महाराजपुर	90/4	0.304
137	आशारानी बेवा रतनचंद शरद अनिल पवन वल्द रतनचंद	अधारताल	महाराजपुर	92	4.820
138	कंछेदी लाल पिता पलटूराम	अधारताल	महाराजपुर	93/1	0.813
139	श्रीमती सरोज बाई पति स्व. ओंकार प्रसाद जीतेन्द्र दीपक वल्द ओंकार प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	93/3	0.729
140	वीरेन्द्र सिंह वल्द दमडी लाल	अधारताल	महाराजपुर	93/5	0.733
141	सोनीलाल वल्द वंशीलाल	अधारताल	महाराजपुर	93/6	0.809
142	ब्रजेश कुमार महेश कुमार नरेश कुमार रोहणी सोहनी वल्द कुलदेव प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	94	0.154
143	लाडली बाई पिता स्व. रघुनाथ प्रसाद चंद्रशेखर, उमेश कुमार देवेन्द्र एवं अन्य 3	अधारताल	महाराजपुर	95/1	0.154
144	ब्रजेश कुमार महेश कुमार नरेश कुमार रोहणी सोहनी वल्द कुलदेव प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	96	0.158
145	रज्जू सिंह वल्द दत्तू सिंह	अधारताल	महाराजपुर	97	0.243
146	भैरों प्रसाद वल्द रामसहाय	अधारताल	महाराजपुर	99/1	2.162
147	श्रीमती इंद्रा जेसवानी पति बलराम जेसवानी	अधारताल	महाराजपुर	99/2	1.200
148	गनपत कुमार रामकुमार गंगा राम पिता शंकर लाल, उमेश कुमार पटेल	अधारताल	महाराजपुर	100/1	1.416

149	डेलन सिंह पिता दयाराम	अधारताल	महाराजपुर	101/1	2.155
150	तुलसी राम दत्तक पुत्र वल्द इंद्रधीर मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	101/2	0.035
151	टंटो बाई जोजे रेवती प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	101/3	1.744
152	तुलसी राम वल्द इंद्रधीर मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	101/4	1.435
153	बलराम जेसवानी वल्द गुरुबक्श राय	अधारताल	महाराजपुर	101/5	0.960
154	अनुराग वल्द अवधबिहारी, मदनगोपाल, नरेश कुमार, महेश कुमार, दिनेश कुमार, इंद्रा, सौरभ, सौम, भगवानदास, यशोदा बाई एवं अन्य 6	अधारताल	महाराजपुर	102/1	0.162
155	जागेश्वर प्रसाद पिता स्व. गया प्रसाद सैन, रामेश्वर प्रसाद राजेन्द्र सैन	अधारताल	महाराजपुर	103/1	0.202
156	जागेश्वर प्रसाद पिता गया स्व. प्रसाद सैन, रामेश्वर प्रसाद राजेन्द्र सैन	अधारताल	महाराजपुर	103/2	0.203
157	ज्ञानचंद जैन पिता स्व. जीवनलाल जैन	अधारताल	महाराजपुर	104/1	1.416
158	ज्ञानचंद जैन पिता स्व. जीवनलाल जैन	अधारताल	महाराजपुर	104/2	0.809
159	हिमिया बाई पति हरचरण सेवा राम राममिलन नारायण सुनीता पिता हरचरण	अधारताल	महाराजपुर	105/1	0.485
160	विनोद लटोरीलाल पिता आनंदीलाल चौधरी	अधारताल	महाराजपुर	105/2	0.300
161	प्रेमलाल पिता प्यारेलाल चौधरी	अधारताल	महाराजपुर	105/3	0.486
162	मो. शहजाद नूर मो. पिता स्व. श्री निशार अहमद एवं अन्य 32	अधारताल	महाराजपुर	106/2	0.700
163	सुरेन्द्र पिता मोतीलाल झारिया	अधारताल	महाराजपुर	106/4/1	0.202
164	वीरेन्द्र पिता मोतीलाल झारिया	अधारताल	महाराजपुर	106/4/2	0.202
165	शैलेन्द्र सत्येन्द्र कविता पिता राजेन्द्र झारिया	अधारताल	महाराजपुर	106/4/3	0.203
166	उमा पिता मोतीलाल झारिया	अधारताल	महाराजपुर	106/4/4	0.202
167	अभिषेक बाजपेयी पिता रमेश कुमार बाजपेयी, स्मृति बाजपेयी	अधारताल	महाराजपुर	107/1	0.284
168	आलोक तिवारी पिता स्व. पं. ओंकार प्रसाद तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	107/2	0.320
169	गुलफाम अंसारी पिता स्व. अबदुल रहीम अंसारी, अनिशा बानो	अधारताल	महाराजपुर	107/3	0.284
170	आशा दुबे पिता स्व. श्री नरेन्द्र दुबे विशाल दुबे पिता स्व. श्री नरेन्द्र दुबे	अधारताल	महाराजपुर	107/4	0.285
171	भागचंद पिता हीरालाल साहू	अधारताल	महाराजपुर	108	2.063
172	संतलाल दुर्गाप्रसाद मुन्नालाल भगवानदास वल्द रिखिराम	अधारताल	महाराजपुर	114/1	0.300
173	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	115	3.237
174	नगर पालिका निगम एवं अन्य 28	अधारताल	महाराजपुर	116 में से	3.092
175	बलजीत सिंह पिता दमडी लाल	अधारताल	महाराजपुर	190/2	0.036
176	हीराबाई बेवा किशन सिंह, अशीष अभिजीत नीतू पूनम वल्द किशन सिंह	अधारताल	महाराजपुर	190/3	0.024

177	भारतलाल, विमलेश, चुम्टी बाई पिता स्व. बाबूलाल कोल	अधारताल	महाराजपुर	190/4, 190/5	0.121
178	राजेश वल्द गोविंद प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	191/1	1.123
179	राजेश प्रसाद वल्द गोविंद प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	191/2	1.588
180	ब्रजेश कुमार महेश कुमार नरेश कुमार रोहणी सोहनी वल्द कुलदेव प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	218/1	0.053
181	राधेश्याम वल्द बट्टी प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	218/2	0.052
182	गोदावरी बाई बेवा शंकर दत्त	अधारताल	महाराजपुर	219	0.109
183	ब्रजेश कुमार महेश कुमार नरेश कुमार रोहणी सोहनी वल्द कुलदेव प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	220	0.081
184	घनवंतरी धाकरिया एवं अन्य 9	अधारताल	महाराजपुर	239 में से	0.440
185	महेन्द्र पिता हरप्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	240	0.583
186	भूरी बाई बेवा शंकरलाल रामकुमार सियाबाई, हरीशंकर, भावना अरोरा	अधारताल	महाराजपुर	242 में से	0.362
187	भूरी बाई बेवा शंकरलाल रामकुमार सियाबाई पिता शंकरलाल	अधारताल	महाराजपुर	243 में से	0.173
188	महेन्द्र कुमार पटेल मनोज कुमार पिता हरप्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	249	0.081
189	अजय सिंह, अमोद सिंह, विनोद सिंह	अधारताल	महाराजपुर	251	0.089
190	भूरी बाई बेवा शंकरलाल रामकुमार सियाबाई पिता शंकरलाल	अधारताल	महाराजपुर	252/1	0.101
191	महेन्द्र कुमार पटेल मनोज कुमार पिता हरप्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	252/2	0.353
192	देवीदीन दाहिया, अर्चना सोनी, शिवांश सोनी, अश्विनी कुमार, किशोर कुमार, मीना गुप्ता	अधारताल	महाराजपुर	253/1	0.072
193	राजेश पिल्ले वल्द आर.एन.पिल्ले	अधारताल	महाराजपुर	253/3	0.291
194	भगवान शर्मा वल्द रामधारी सिंह	अधारताल	महाराजपुर	253/4	0.018
195	सुरेश चंद्र पिता बाबूलाल, सुधा बाई, आराधना राय, गोपालचंद्र, अंजीत, बलवीर सिंह, विमला साहू, लीला बाई साहू	अधारताल	महाराजपुर	253/5	0.110
196	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	253/6	0.255
197	श्रीमती राजकुमारी विश्वकर्मा पति कृष्ण कुमार, लक्ष्मीकांत गुप्ता	अधारताल	महाराजपुर	253/7	0.029
198	वीरेन्द्र कुमार यादव पिता वृदावन यादव	अधारताल	महाराजपुर	253/8	0.011
199	श्रीमती राजकुमारी जयसवाल पति राजेन्द्र कुमार जयसवाल	अधारताल	महाराजपुर	253/9	0.007
200	श्रीमती राजकुमारी जयसवाल पति राजेन्द्र कुमार जयसवाल	अधारताल	महाराजपुर	253/10	0.007
201	श्रीमती राजकुमारी जयसवाल पति राजेन्द्र कुमार जयसवाल	अधारताल	महाराजपुर	253/11	0.007
202	संजय सिंह पिता हरीसिंह लोधी	अधारताल	महाराजपुर	253/12	0.011
203	श्रीमती सरिता सिंह पति अरुण प्रताप सिंह	अधारताल	महाराजपुर	253/13	0.015

204	श्रीमती तेतरी देवी पति महेन्द्र शर्मा	अधारताल	महाराजपुर	253/14	0.016
205	अवनेश प्रसाद पिता बाबूलाल	अधारताल	महाराजपुर	253/15	0.011
206	भूरीबाई बेबा शंकरलाल रामकुमार सियाबाई वल्द शंकरलाल एवं 70 अन्य	अधारताल	महाराजपुर	254/1/1 से 254/71 तक	6.330
207	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	9	0.486
208	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	15/6	0.864
209	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	16 में से	0.362
210	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	17	1.080
211	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	18/2	0.446
212	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	19/2	0.973
213	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	25/2	2.023
214	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/1	0.313
215	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/2	0.101
216	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/3	0.101
217	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/4	0.101
218	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/5	0.023
219	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	29/1	0.142
220	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	33	0.336
221	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	34/2	0.121
222	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	41/3	1.733
223	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	41/4	1.736
224	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	60	0.142
225	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	61 में से	0.581
226	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	73	0.040
227	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	74	0.571
228	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	76	0.809
229	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	78/2	0.836
230	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	79/2	0.318
231	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	81	0.470
232	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	82/2	0.263
233	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	83/2	0.190
234	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	88	0.429
235	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	89/1	0.909
236	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	89/3	0.759
237	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	91	0.308
238	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	93/2	0.739
239	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	93/4	0.809
240	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	95/2	0.184

241	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	98/1	0.468
242	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	98/2	0.469
243	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	100/2	0.328
244	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	102/2	0.162
245	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	105/4	0.186
246	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	106/1	1.012
247	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	106/3	0.405
248	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	106/5	0.202
249	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	106/6	0.307
250	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	114/2	1.226
251	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	190/1	0.101
252	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	217	0.142
253	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	221 में से	0.316
254	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	250	0.101
255	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	253/2	1.744
256	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	262 में से	1.596
257	श्रीमती शशि पति अंजनी पांडे	अधारताल	खैरी	163/1 में से	0.920
258	बचई लाल पिता खुडमुड पाल	अधारताल	खैरी	164/1 में से	0.320
259	विवेक विकास नावा एवं अन्य 19	पनागर	हथना	209,210 में से	0.207
260	प्रमोद कुमार वल्द कुंजीलाल तिवारी एवं अन्य 4	पनागर	हथना	235 में से	1.241
261	प्रमिला पति प्रमोद कुमार एवं अन्य 4	पनागर	हथना	236 में से	1.429
262	बचई लाल वल्द खुडगूपाल एवं अन्य 6	पनागर	हथना	237 में से	0.650
263	रघुवर वल्द बचई पाल एवं अन्य 4	पनागर	हथना	238 में से	0.986
<b>कुल</b>					<b>151.505</b>

प्रारूप नगर विकास स्कीम में अंतिम भूखंड का आवंटन उपरोक्त दर्शाई गई भू-धारिता तथा स्वामित्व के आधार पर आवंटित किया जाएगा, भू-धारिता अथवा तालिका में दर्शाये गये क्षेत्रफल में किसी विसंगति को, अथवा इस सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी उपविभाजन (सबडिवीजन) को, सुसंगत प्रलेखों के साथ इस सूचना के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर जानकारी में लाया जाएगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के पश्चात् अंतिम भूखंड के आवंटन के प्रयोजन हेतु मूल भूखंड में किये गये किसी उपविभाजन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रशांत श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

(G-1534)



इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2022—भाद्र 11, शक 1944

## भाग 3 ( 2 )

सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )